न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 59/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00188

दलीप कुमार पुत्र स्व. मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी रोही गणेशगढ़ ढाणी मु.न. 111, किला नंबर 19 तहसील व ज़िला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. सावित्री देवी पत्नि स्व. रोशनलाल
3. महेन्द्र पुत्र स्व. रोशनलाल
4. उषा रानी पुत्री स्व. रोशनलाल
5. विमला पत्नि सुरेन्द्र
6. रजनी पुत्री सुरेन्द्र
7. पूजा पुत्री सुरेन्द्र
8. दीपक पुत्र सुरेन्द्र

जाति महाजन (गर्ग) निवासी 166 राणाप्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचंद लाल सारस्वत — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.3 ता 5, 8
श्री अजय ओझा — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.3 ता 8

निर्णय

दिनांक 21.07.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीगंगानगर कैम्प कोर्ट गणेशगढ़ के निर्णय दिनांक 07.03.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि चक गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नंबर 111 किला नंबर 12 ता 14, 19 ता 22 सालम कुल 6 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि है। अपीलांट ने उक्त विवादित रकबे को नियमन/आवंटन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागनर में आवेदन कर रखा है। नामान्तरण संख्या 939 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इंतकाल संख्या 939 की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 18.04.2017 को तहसीलदार श्रीगंगानगर कैम्प गणेशगढ़ के आदेश दिनांक 07.03.2017 के विरूद्ध एक अपील पेश की, जिसे क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.2017 को खारिज कर दी। तहसीलदार श्रीगंगानगर कैम्प गणेशगढ़ के आदेश दिनांक 07.03.2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश दिनांक 07.03.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री जयचंद लाल सारस्वत ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी, भूमिहीन, सद्भावी एवं अनुसूचित जाति का काबिज काश्तकार है, जिसके पिता के समय से लगभग 46 वर्षो से चक गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 111 किला नम्बर 12 ता 14, 19 ता 22 सालम कुल 6 बीघा 14 बिस्वा निरन्तर कब्जाकाश्त में चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त रकबा को नियमन/आवंटन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर में आवेदन पेश कर रखा है। दिनांक 10.04.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा कब्जा एवं अपने नाम से इन्तकाल दर्ज होने की धमकी से दिनांक 12.04.2017 को इन्तकाल संख्या 939 की जानकारी होने पर अपीलांट ने प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.04.2017 को पेश की, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर खारिज कर दी। उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय में पेश की जा चुकी है तथा उक्त अपील पेश करते समय कानूनी राय में बीकानेर के वकील द्वारा बताया गया कि मूल आदेश दिनांक 17.03.2017 की अपील भी पेश की जानी आवश्यक है। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 07.03.2017 के खिलाफ न्यायालय हाजा में पेश की है।

जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता के समय से लगभग 46 वर्षो से निरंतर कब्जा काश्त में है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 939 दिनांक 07.03.2017 को गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के नाम स्वीकृत कर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.03.2017 को जो आदेश पारित किया, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के पिता व दादा एवं ससुर रोशनलाल के नाम से आवंटन गलत हुआ है। भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया

माननीय आयुक्त
बीकानेर

गया है कि जैर अपील रकबा विवादित है, जो रकबा राज दर्ज होना चाहिए था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। विवादित इन्तकाल संख्या 939 दिनांक 07.03.2017 से पहले संरपच ग्राम पंचायत गणेशगढ़ के समक्ष पेश हुआ था, जिसमें सरपंच ने दिनांक 22.02.2017 को आगामी बैठक में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन उक्त नामान्तरण पत्रावली को कैम्प गणेशगढ़ में तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया गया। मौका रिपोर्ट मंगवाई गई और मौका रिपोर्ट के विपरीत जैर अपील आदेश पारित किया गया। पटवारी से जो मौका रिपोर्ट मंगवाई, उसमें पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अंकन किया कि रोशनलाल के नाम से यह आवंटन पूर्व में खारिज होने के कारण रकबा राज दर्ज होना चाहिए था, फिर भी तहसीलदार श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए रोशनलाल के वारिसान के नाम से नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात आवंटन को नियम विरूद्ध होना अंकित करते हुए भू–अभिलेख निरीक्षक गणेशगढ़ को निर्देशित किया की समस्त दस्तावेज एकत्रित कर उक्त भूमि की खातेदारी समाप्त कराने हेतु एक रिपोर्ट पेश करे, जिससे उक्त भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त करवाकर रकबा राज कराने हेतु जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स पेश किया जा सके।

श्री रोशनलाल का मूल आवंटन पूर्ण में ही निरस्त हो चुका है। रकबा को आराजीराज दर्ज करने के आदेश पारित हो चुके है। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं राजस्थान हाई कोर्ट तक ने उक्त आदेश को कायम रखा है। जैर अपील आदेश दिनांक 07.03.2017 एल.आर. एक्ट 135(2) अनवान दीपक कुमार गर्ग साकिन श्रीगंगानगर न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर कैम्प गणेशगढ़ की पत्रावली तलब कि जाकर आदेश को निरस्त फरमाया जाए। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के पक्ष में निम्नलिखित RRD का हवाला दिया है:–

क्र.सं	RRD वर्ष	पेज संख्या
01	1991	492
02	1992	17
03	1993	502
04	1996	457
05	1998	319

(माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान)

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस के दौरान अवगत कराया की अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस एवं अपनी अपील में जो तथ्य बताये है वे पूर्णतया मिथ्या है सर्वप्रथम यह अपील मियाद के बाहर प्रस्तुत की गई है। जैर अपील आदेश दिनांक 07.03.2017 की जानकारी अंपीलांट को प्रारम्भ से ही थी।

अपीलांट का वादगत भूमि में कोई हित नही है। अपीलांट को आदेश जैर अपील जो विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने हेतु दिया गया है के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई लोक्स स्टेण्डाई नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित किए है, जिसके अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार कि मृत्यु हो जाने पर उसके जायज व कानूनी वारिसान की जांच कर राजस्व रिकॉर्ड को लगान अदा करने हेतु संबंधित व्यक्तियों के खातों को संधारित करना है। अपीलांट ने अपनी अपील में भूमि को विरासतन दर्ज ना करते हुए अराजीराज दर्ज करने के आदेश चाहे है जो इस अपील के द्वारा किसी सूरत में पारित नही किए जा सकते है।

अपीलांट का वादगत भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ना ही अपीलांट अपने कथनों के अनुसार वादगत भूमि में कोई वैधानिक हक अधिकार रखता है। मात्र रेस्पोडेन्ट्स को तंग व परेशान करने की नियत से व अनुचित दबाव बनाकर नाजायज अदेय लाभ प्राप्त करने की नियंत से उपरोक्त अपील प्रस्तुत कि है। अपीलांट अपने आप को वादगत भूमि का अतिक्रमी बताता है जो वास्तविकता नहीं है। अपीलांट का वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा, ना ही अतिक्रमी के रूप में वादगत भूमि की नियमन का अधिकारी हैं, क्योंकि वादगत भूमि राजकीय भूमि ना होकर रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी कृषि भूमि है तथा वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में दर्ज शुदा है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करने के आदेश नहीं दिये गए हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुति का वैधानिक अधिकार ना था ना ही है। अतः अपील अपीलांट भारी कोस्ट पर निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री अजय कुमार ओझा ने भी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री राजेश बैद के तथ्यों का समर्थन किया एवं अपनी बहस के दौरान अवगत कराया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोक्स स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है, केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स को परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रकरण में वस्तुस्थिति जानने के लिए तहसीलदार श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार (भू अ.) श्रीगंगानगर ने अपनी मौका रिपोर्ट क्रमांक 1866 दिनांक 05.07.2022 द्वारा वादग्रस्त भूमि के पड़ौसियों के बयान सहित अवगत कराया कि भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार रेस्पोडेन्ट्स को विरासतन प्राप्त हुई है एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, जो विरासतन सम्वत् 2054 से चली आ रही है। दिलीप रेस्पोडेन्ट्स के खरीदशुदा खेत में रेस्पोडेन्ट्स दीपक वगैरह से धक्काशाही करता है। रेस्पोडेन्ट दीपक वगैरह जरिये कानूनी लड़ाई लड़कर अपना हक प्राप्त करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि अपीलांट को उपरोक्त अनवान की अपील करने की लोकस् स्टेण्डाई नहीं हैं क्योंकि 135(2) में विरासतन इंतकाल को रोका नहीं जा सकता तथा नियमन हेतु इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश से दर्ज विरासतन इन्तकाल में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 07.03.2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट अपने हक–हकूक हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर